



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48551

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8773 वर्ष 2026

जय प्रकाश सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : पुष्कर बाबू कुशवाहा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि निजी पक्षकार आदेश से व्यथित अनुभव करते हैं, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी चुनार, तहसील-चुनार, जिला-मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 (2) के अंतर्गत अपील संख्या 28641 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर टी2022516530428641) (शांति देवी बनाम जय प्रकाश सिंह और अन्य) को निर्णीत करने हेतु निदेशित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त अपील प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा नवंबर, 2025 के माह में दाखिल की गई है और तत्पश्चात याची ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को पूर्वोक्त अपील का निस्तारण करने हेतु निदेशित करने की प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की। संपूर्ण याचिका में ऐसा कुछ भी अभिकथित नहीं किया गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान है और न ही याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य के सिवाय कि वाद वर्ष 2025 में दाखिल किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय को पूर्वोक्त वाद का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निदेश देने हेतु इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है।
5. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचीगण को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्वोक्त अपील का कड़ाई से विधि के अनुसार तथा किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना निस्तारण करे, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
6. पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 10, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।